पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2671

दिनांक-11.11.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- कृष्णानगर

- लोगों को डराकर उनके साथ टप्पेबाजी करने वाले दो शातिर टप्पेबाज अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से छलपूर्वक छीनी गयी सम्पत्ति 01 अदद चैन पीली धातु बरामद।
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बिना नम्बर प्लेट बरामद।
- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।

कार्यवाही:-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर टप्पेबाज अभियुक्त **इमरान उर्फ मुन्ना** पुत्र जमील अहमद निवासी शाहपुर भमरौली फाटक दुबग्गा थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र 25 वर्ष, **कल्लू उर्फ राजू** पुत्र राज कुमार उर्फ मुन्ना पेंटर निवासी ए 26 कृष्ण बिहार मायावती कालोनी थाना इन्दिरानगर लखनऊ हाल पता शाहपुर भमरौली फाटक दुबग्गा थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र 25 वर्ष को **गंगाखेड़ा रेलवे अण्डर पास** से गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी की गयी सोन के एक अदद चेन एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

- दिनांक 09.11.2025 को वादी मुकदमा श्री दुर्गेश पाण्डेय पुत्र स्व0 राम गोपाल पाण्डेय निवासी सेक्टर सी-1, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, थाना कृष्णानगर लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर डी नेशनल पब्लिक स्कूल मोड के पास स्कूटी सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी मां जो किसी काम से बाहर जा रही थी, से धोखाधड़ी/टप्पेबाजी कर उनकी पहनी हुई सोने की चैन ले गये।
- उक्त सूचना पर तत्काल थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0-0522/2025 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग के अतिशीघ्र अनावरण हेतु 04 टीमें गठित की गयी, जिनके द्वारा लगभग 500 कैमरे चेक किये गये। इन टीमों द्वारा टैक्निकल/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 11.11.2025 को प्रकाश में आये 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.11.2025 को समय करीब 12.00 बजे सीएमएस स्कूल के पास जा रही महिला से हम लोगो ने कहा कि आगे पुलिस की चेकिंग का खतरा है अपनी चैन उतारकर मेरे रूमाल में रख लो जैसे ही उसने चैन रूमाल में रखी हम लोगो ने रूमाल बदल दिया और मौका पाकर उस महिला की चैन लेकर बरामद स्कूटी से भाग गये थे। हम लोग घटना करने से पूर्व 03-04 जोड़ी कपडे पहनते हैं, घटना के पश्चात रास्ते में ही कपडे बदल कर भाग जाते हैं जिससे पुलिस गुमराह होकर हमको पकड़ नहीं पाती है और हम आसानी से घटना को अन्जाम दे देते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0
मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ।

थाना बीकेटी द्वारा कस्बा बीकेटी में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, और सरकारी योजनाओं के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीकों और महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी।

दिनांक- 11.11.2025

थाना बीकेटी द्वारा कस्बा बीकेटी में 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य "मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ" के संकल्प को साकार करना था। इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के प्रभावी तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, उन्हें महत्वपूर्ण महिला हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थितियों में वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। यह पहला महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुई।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक **सराहनीय कदम** है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजन/आयोजक टीम -

- **महिला कांस्टेबल सलमा बानो**, महिला थाना द्वितीय, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- **महिला कांस्टेबल सरिता पटेल**, महिला थाना द्वितीय, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बीकेटी द्वारा आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में कस्बा बीकेटी में ।

प्रतिभागी: -

थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बीकेटी में **आई महिला व बच्चे**।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण पहल **"मिशन शक्ति 5.0"** के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ कमिश्नरेट में जागरूकता कार्यक्रमों की शृंखला जारी है।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.11.2025 को बीकेटी थाना क्षेत्र में कस्बा बीकेटी में **आई करीब 20- 30** महिलाओं व बच्चो को मिशन शक्ति अभियान के तहत बताया गया कि कि कौन कौन-से आचरण और व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा साइबर जागरूकता अभियान के महिलाओं को मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 112, 181, 1930 ,102,108 तथा थाना स्थानीय पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र महिला हेल्प डेस्क, बाल विवाह निषेध एवं वर्तमान में हो रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 का प्राथमिक उद्देश्य

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए, एक समग्र और सशक्तिकरण-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।

विस्तृत विवरण:

मिशन शक्ति 5.0 का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। यह निम्नलिखित बुनियादी स्तंभों पर केंद्रित है:

1. **सुरक्षा और सहायता:**
   - महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और कम करना।
   - उन्हें हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना।
   - प्रभावित महिलाओं को त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना।
2. **आर्थिक सशक्तिकरण:**
   - महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता (Entrepreneurship) और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
   - उन्हें वित्तीय साक्षरता और बाजार से जोड़ने में मदद करना।

सामाजिक सशक्तिकरण:

- समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और सामुदायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनाना।

इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी जानकारी समाज के अंतिम छोर तक, हर गली-मोहल्ले और गाँव तक पहुँचे। आइए, हम सभी इसके दूत बनें और इसके बारे में जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें, ताकि कोई भी पीड़ित महिला अज्ञानतावश या सहायता के अभाव में न रह जाए।

एक सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन हर महिला का मौलिक अधिकार है, और "मिशन शक्ति" निश्चित रूप से इस अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत स्तंभ का कार्य कर रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 11.11.2025

मिशन शक्ति 5.0
आत्मविश्वास जगाने का प्रयास, बेटियों को समर्थ बनाना लक्ष्य।

थाना अलीगंज क्षेत्र में गल्लामंडी व कपूरथला चौराहा अलीगंज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र एवं साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके से किया गया जागरूक ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना अलीगंज क्षेत्र में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

आयोजन स्थल

- थाना अलीगंज क्षेत्र में गल्लामंडी व कपूरथला चौराहा अलीगंज

प्रतिभाग-

- म0उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0उ0नि0 आशी गुप्ता, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी रूबी रानी, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।3
- महिला आरक्षी मीनाक्षी, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 11/11/2025 को अलीगंज टीम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वायड टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर जागरूकता अभियान के तहत थाना अलीगंज क्षेत्र में गल्लामंडी व कपूरथला चौराहा अलीगंज मे महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी-100 (यूपी कोप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया, साथ- साथ महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 11.11.2025 को थाना अलीगंज क्षेत्र में गल्लामंडी व कपूरथला चौराहा अलीगंज में आयोजित मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

<u>बरामदगी</u>

चोरी गयी मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस सं0- UP32QL0029 व एक अदद मोबाइल फोन One Plus Nord Ce4 बरंग ग्रे

<u>अनावरित अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0-172/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली थाना तालकटोरा पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. हे0का0 आनन्दमणि सिंह थाना तालकटोरा लखनऊ।
3. आरक्षी रोहित कुमार पाल थाना तालकटोरा लखनऊ।
4. आरक्षी नीरज सिंह थाना तालकटोरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2674
दिनांक-11.11.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 06.11.2025 को वादिनी के द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर देकर सूचित किया गया कि विपक्षी मकान मालिक फूलचन्द्र के द्वारा अपने परिवार वालों के साथ मिलकर मकान खाली कराने की बात को लेकर लड़ाई झगड़े में मेरी माँ सरिता देवी उम्र करीब 51 वर्ष के सिर पर लोहे की रॉड मार दी,जिससे माँ के सिर में गंभीर चोट आ गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0-685/2025 धारा-191(2)/115(2)/351(3)/110 बीएनएस बनाम फूलचन्द्र आदि के पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान दिनांक 09.11.2025 को ट्रामा सेंटर चौक लखनऊ में मृत्यु हो गई। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में धारा को संशोधित किया गया है। घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त फूलचंद पुत्र मांहगे निवासी सेक्टर पी बसंतकुंज योजना थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष को आज दिनांक 11.11.2025 को सेक्टर आई से सेक्टर ओ की तरफ जाने वाले रास्ते से हिरासत पुलिस में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रॉड बरामद की गई है।

पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.फूलचंद पुत्र मांहगे निवासी सेक्टर पी बसंतकुंज योजना थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 50 वर्ष ।

03-बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सर्वेश नायक चौकी प्रभारी प्रेरणास्थल थाना ठाकुरगंज लखनऊ ।
2. उ0नि0 राहुल सोलंकी थाना ठाकुरगंज लखनऊ ।
3. उ0नि0 कुलदीप वर्मा थाना ठाकुरगंज लखनऊ ।
4. का0 अंकुश भारती थाना ठाकुरगंज लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2670

दिनांक– 11.11.2025

मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही-लखनऊ से 06 माह के लिए जिलाबदर आदेश पारित।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत थाना **बंथरा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग प्रवृत्ति** के **तीन व्यक्तियों- श्रीपाल, मूलचन्द्र व सुन्दरलाल** (सभी निवासी ग्राम ऐंन, थाना बंथरा, लखनऊ) को **उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3** के अंतर्गत ***लखनऊ की सीमा से अग्रिम 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर)*** किए जाने का आदेश मा0 न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा पारित किया गया है।

लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से संस्थित वाद संख्या 382(21)/2024, 383(22)/2024 एवं 385(24)/2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पक्षों को सुनने के उपरांत, राज्य की ओर से **संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा विपक्षीगण के आपराधिक इतिहास एवं प्रवृत्ति के आधार पर जिलाबदर किए जाने का जोरदार तर्क प्रस्तुत किया गया।

अभिलेखों एवं प्रस्तुत तर्कों के परीक्षण उपरांत, मा0 न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा विपक्षीगण को गुण्डा घोषित करते हुए *खुले न्यायालय में **दिनांक 10.11.2025 को लखनऊ की सीमा से अग्रिम 06 माह के लिए जिलाबदर** किए जाने का आदेश पारित किया गया।*

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
बंथरा	1	382(21)/2024	**श्रीपाल** उम्र करीब 57 वर्ष पुत्र परागी निवासी ग्राम ऐंन, थाना बन्थरा, लखनऊ।	1	340/2024	191(2)/324(4)/351(2) BNS	बंथरा	**06 माह**
				2	499/2020	447 IPC	बंथरा	
				3	14/2021	504/506/427/447 IPC	बंथरा	
				4	371/2021	147/323/506/352 IPC	बंथरा	
				5	167/2022	147/323/504/506/447/427 IPC	बंथरा	
				6	93/1979	147/148/149/307/302 IPC	बंथरा	
				7	345/1996	60/63 EX Act	बंथरा	